



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (क)  
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 15 अक्टूबर, 2020  
आश्विन 23, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
परिवहन अनुभाग-4

संख्या 13/2020/922/तीस-4-2020-113-89टीसी  
लखनऊ: 15 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि०-66

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 55 के उपनियम (8) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 2104/तीस-4-08-113-89, दिनांक 29 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, शीर्षक 'राज्य परिवहन प्राधिकरण' के अधीन क्रम संख्या 1 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"1-डा० अखिलेश कुमार मिश्रा, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन-अध्यक्ष।"

आज्ञा से,  
राजेश कुमार सिंह,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/2020/922/ XXX-4-2020-113-89 T.C., dated October 15, 2020 :

No. 13/2020/922/ XXX-4-2020-113-89 T.C.

*Dated Lucknow, October 15, 2020*

IN exercise of the powers under sub-sections (1) and (2) of section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 ( Act no. 59 of 1988) *read* with sub-rule (8) of rule 55 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. X of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 2104/XXX-4-08-113-89, dated January 29, 2009 as amended from time to time.

#### AMENDMENT

IN the aforesaid notification, under the heading the State Transport Authority for the entry at serial no. 1, the following entry shall be *substituted*, namely:-

"1. Dr. Akhilesh Kumar Mishra, Special Secretary, Government of Uttar Pradesh in Transport Department- Chairman".

By order,  
RAJESH KUMAR SINGH,  
*Pramukh Sachiv.*